समिति द्वारा लिए गए उपरोक्त निर्णयानुसार संस्था को पत्र क्रमांक राअशिप/अक्षेस/एफ-3/एसपी-40/2001/921 दिनांक 21.5.2001 लिखा गया था जिसका उत्तर संस्था ने अपने पत्रों के द्वारा दिया था जो समिति कार्यालय में दिनांक 14.6.2001 एवं 22.6.2001 को प्राप्त हुए थे।

संस्था से प्राप्त उत्तर एवं संस्था की मूल पत्रावली, मूल्यांकन प्रतिवेदन, संस्था को प्रेषित पत्र परिषद् अधिनियम एवं इसके अन्तर्गत जारी विनियमों/मानदंडों की प्रति तथा अन्य सम्बन्धित दस्तावेज उत्तर क्षेत्रीय समिति की दिनांक 05.07.2001 को सम्पन्न हुई 36 वीं बैठक में रखे गए। समिति ने प्रकरण पर गहराई से विचार कर निर्णय लिया कि **सरस्वती एजुकेशन बीएड ट्रेनिंग कॉलेज, जे.पी.एस. कॉम्पलेक्स, लोहारिन, हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश** के प्रस्तावित बीएड पाठ्यक्रम की मान्यता को निम्नांकित कमियों के कारण तुरन्त प्रभाव से अस्वीकार कर दिया जाए।

1. चयनित व्याख्याताओं में कोई भी योग्यताधारी नहीं होने से परिषद् मानदंडानुसार छः व्याख्याताओं की कमी है।
2. चयन समिति में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधि होने की कमी है।
3. तकनीकी सहायक स्टॉफ की चयन समिति में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधि होने की कमी है।
4. साक्षात्कार उपरान्त चयन समिति की विधिवत हस्ताक्षरित रिपोर्ट प्रस्तुत करने की कमी है। अतः विधिवत चयन की पुष्टि होने की कमी है।
5. शैक्षिक एवं तकनीकी स्टॉफ चयन के पश्चात् यूजीसी वेतनमान दिए जाने के आदेश जारी करने एवं उनकी पुष्टि होने की कमी है।
6. भूमि किराए की है। संस्था के पास भूमि के वैधानिक दस्तावेज नहीं है।
7. भवन संस्था स्वयं का नहीं है। अतः भवन की कमी है।
8. फर्नीचर में स्टील आलमीरा-6, पिनहोल आलमीरा-2, लेक्चर स्टेंड-4, ड्यूवल डेस्क -60, कुर्सियाँ-60, लाईब्रेरी टेबिल-6, आलमीरा-3, कुशन कुर्सियाँ-20 आदि संस्था में आने एवं स्टॉक प्रविष्टि होने की पुष्टि की कमी है।
9. मनोविज्ञान प्रयोगशाला हेतु परिषद् मानदंडानुसार उपकरण एवं सामग्री की कमी है तथा विज्ञान उपकरण संस्था में आने एवं स्टॉक प्रविष्टि होने की पुष्टि की कमी है।
10. अक्षय निधि में 2.00 लाख जमा होने की कमी है।
11. क्रय की गई पुस्तकें संस्था में आने एवं स्टॉक प्रविष्टि होने की पुष्टि की कमी है।
12. पाँच शैक्षिक जरनल की कमी है।
13. हॉस्टल की व्यवस्था की कमी है।

उत्तर क्षेत्रीय समिति की 36 वीं बैठक में लिए गए निर्णयानुसार **सरस्वती एजुकेशन बीएड ट्रेनिंग कॉलेज, जे.पी.एस. कॉम्पलेक्स, लोहारिन, हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश** के प्रस्तावित बीएड पाठ्यक्रम की मान्यता को उपरोक्त कमियों के कारण तुरन्त प्रभाव से अस्वीकार किया जाता है तथा संस्था को निर्देश दिया जाता है कि बीएड पाठ्यक्रम में कोई भी प्रवेश न करें। यदि विश्वविद्यालय बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश करता है तथा उपरोक्त पाठ्यक्रम की उपाधि छात्रों को प्रदान करता है तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम 1993 की धारा 17 (4) के तहत इन छात्रों को प्रदत्त बीएड की उपाधि केन्द्र सरकार, कोई भी राज्य सरकार या किसी भी विश्वविद्यालय या किसी भी विद्यालय या महाविद्यालय, अन्य शैक्षणिक संस्थान जो कि केन्द्र सरकार या किसी भी राज्य सरकार से अनुदानित हो में रोजगार के लिए वैध योग्यता नहीं मानी जाएगी। यदि संस्था चाहे तो इस आदेश के